Statement—III

Statement Showing State-Wise Actual Expenditure Incurred (Excluding Expenditure on Construction of Buildings) on JNVS. during the year 1995-96

(Rs. in Crore)

Sl.No.	State	
1.	Andhra Pradesh	9.90
2.	Kerala	4.90
3.	Karnataka	6.88
4.	Andaman & Nicobar, Lakshadweep, Pondicharry	1.67
5.	Maharashtra	8.63
6.	Gujarat	2.89
7.	Goa	0.55
8.	Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli	0.52
9.	J. & K.	3.75
10.	Himachal Pradesh	3.50
11.	Punjab including Chandigarh	4.42
12.	Uttar Pradesh	17.45
13.	Bihar	13.33
14.	Madhya Pradesh	13.96
15.	Orissa	4.73
16.	Menipur	2.76
17.	Mizoram	0.45
18.	Meghalaya	1.97
19.	Nagaland	0.50
20.	Arunachal Pradesh	1.87
21.	Tripura	0.83
22.	Sikkim	0.61
23.	Assam	1.53
24.	Rajasthan	8.36
25.	Haryana	4.33
26.	Delhi	0.62
	TOTAL	120.91

अल्मोड़ा में आई०टी०आई० और पॉलिटेकनिक केन्द्र

786. **श्री राजनाथ सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कुल कितने आई०टी०आई० और पॉलिटेकनिक केन्द्र कहां-कहां काम कर रहे हैं;

(ख) आठवीं योजना के दौरान कहां-कहां पर ऐसे केन्द्र खोले गये थे;

(ग) क्या यह सच है कि अल्मोड़ा जिले में भिकियासैंण खंड में कोई आई०टी०आई० और पॉलिटेकनिक केन्द्र नहीं हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार इस क्षेत्र के युवकों का पलायन रोकने के लिए और उन्हें व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए नौवीं योजना में भिकियासैंण में बासोट विकास केन्द्र III और आई०टी०आई० तथा पॉलिटेकनिक केन्द्र की स्थापना करने का विचार रखती है, और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 4 पॉलिटेकनिक कार्य कर रहे हैं उनके स्थान विवरण में दिए गए हैं। (**नीचे देखिए**)।

(ख) आठवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कोई पॉलिटेकनिक/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं खोला गया है।

(ग) अल्मोड़ा के भीकियासैंण खण्ड में सदरकोइरल गांव में एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहा है। किन्तु वहां कोई पॉलिटेकनिक नहीं है।

(घ) और (ङ) स्थानीय आवश्यकताओं के ध्यान में रखकर सम्बन्धित अभिकरणों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेकनिकों को राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किया जाता है। नौवीं योजना के दौरान अल्मोड़ा जिले में पॉलिटेकनिकों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अल्मोड़ा जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध विद्यमान स्थान क्षमता का भी पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

विवरण

पॉलिटेकनिकें	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानें
1. राजकीय महिला पॉलिटेकनिक अल्मोड़ा	1. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) अल्मोड़ा भिताइ (मुख्य)
2. राजकीय पॉलिटेकनिक, द्वारहाट जिला अल्मोड़ा	2. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) अल्मोड़ा (शाखा)
3. राजकीय ग्रामीण पॉलिटेकनिक तकुंला, (जिला अल्मोड़ा)	3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सियालदे (शाखा)
4. राजकीय पॉलिटेकनिक, सुल्ट (जिला अल्मोड़ा)	4. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रानीखेत (शाखा)
	5. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयन्ती (मुख्य)
	6. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, काण्डा (मुख्य)
	7. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सदरकोइराल (मुख्य)
	8. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धोलादेवी (मुख्य)
	9. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ब्राइट कार्नर अल्मोड़ा (मुख्य)
	10. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डौला (शाखा)

बाल विकास परियोजनाओं में बरती गई अनियमितताएं

787. **श्री अजीत जोगी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बाल विकास परियोजनाओं में बरती जा रही अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त परियोजनाओं के अंतर्गत बच्चों को दिया जाने वाला खाना घटिया किस्म का पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई): (क) से (घ) समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में नहीं आयी है। तथापि, पूरक पोषाहार में व्यवधान, आई०सी०डी०एस० से भिन्न कार्यों के लिए वाहनों के प्रयोग, उपकरणों का उपयोग न किये जाने तथा बाल विकास परियोजनाओं को घटिया खाद्यों की आपूर्ति किये जाने के संबंध में कभी-कभी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए ऐसी शिकायतों को राज्य सरकारों के ध्यान में ला दिया जाता है। राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षणों के अलावा, खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड की क्षेत्रीय इकाइयां भी समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत प्रदत्त पूरक खाद्यों की गुणवत्ता की जांच करती हैं। इन निरीक्षणों के निष्कर्षों को आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों के ध्यान में लाया जाता है।